भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

पत्रांक: 5-7/2020-21/भ./ दिनांक: 01 जुलाई, 2020

सेवा में,

विषयः ज्वार की फसल (लगभग 1.35 हैक्टेयर) की बिक्री हेतु कुटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय के मोदीपुरम रिसर्च यूनिट में ज्वार की फसल (लगभग 1.35 हैक्टेयर) बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति ज्वार की फसल खरीदने के लिए प्रति हैक्टेयर प्रति कटिंग के हिसाब (03 कटिंग) से अधिकतम अपने अधिकतम रेट लिफाफे में इस कार्यालय को दिनांक 13.07.2020 दोपहर 12:30 बजे तक प्रेषित करें। कुटेशन उसी दिन दिनांक 13.07.2020 दोपहर 03:00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जाएगी। यदि उक्त तिथि में कोई अवकाश पड़ता है तो कुटेशन अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समयानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेगी।

बैंक ड्राफ्ट द्वारा या NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन माध्यम से भी स्वीकृत किए जाने के आदेश एतद् द्वारा पारित किये जा रहे हैं। बैंक ड्राफ्ट **वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केन्द्र, मोदीपुरम के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हैड़ा (कोड़ सं. 3067)** पर देय होना चाहिये। NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैंकिग माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत हैः

बैंक का नाम	-	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा	-	पल्हैड़ा (3067)
खाता सं.	-	10172900089
आई.एफ.एस.सी. न.	-	SBIN0003067

नियम एवं शर्तेः-

1. प्रत्येक क्रेता को **₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैकिंग की मूल प्रति कुटेशन के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
2. कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ज्वार की फसल का सम्पूर्ण भुगतान 03 कटिंग का प्रति हैक्टेयर की दर से कैशलेस माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।
3. जिस व्यक्ति के ज्वार की फसल के रेट्स अधिकतम होंगे, उसको फसल का पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात् तुरन्त कार्यालय में जमा कराना होगा।
4. ज्वार की फसल प्रत्येक माह के अन्दर(या अधिकतम दिनांक 15.09.2020 तक) संबंधित प्रक्षेत्र से स्वंय काटकर तथा स्वंय के वाहन से उठाकर ले जाना होगा।
5. संबंधित प्रक्षेत्र से किसी भी तरह के यंत्र, ट्रैक्टर तथा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
6. कुटेशन स्वीकृत होने पर यदि कुटेशन दाता समय सीमा में ज्वार की फसल का उठान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस विषय पर कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
7. नुकसान होने की स्थिति में ठेकेदार/कुटेशनदाता स्वंय ही जिम्मेदार होगा।
8. अन्य शर्तें यदि कोई हो तो कार्य शुरु होने से पहले बता दी जायेगी, जिसे मानने के लिए आप बाध्य होंगे।
9. आयकर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो वह भी नियमानुसार काटा जायेगा।

प्रशासनिक अधिकारी

वितरणः-

1. ग्राम प्रधानः मछरी, चिरोड़ी, पबरसा, सुरानी, पाबली
2. सूचनापट्टः मोदीपुरम, पाबली, सी.ब्लॉक, मछरी प्रक्षेत्र
3. श्री दिनेश सिंह, स.मु.त.अ., केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर मोदीपुरम, को इस आश्य के साथ कि कृप्या कोटेशन को CPRIC मोदीपुरम की वेबसाइट पर पब्लिश करें।